POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 09.09.2026

थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फाजलाबाद उर्फ कालूपुर निवासी अजय सोनी पुत्र स्व0 वंशीलाल सोनी द्वारा थाना बहरिया पर तहरीर दी गई कि दिनांक-27.06.2026 को शशि कुमार गौतम उर्फ साहिल कुमार पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी सतेवर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा उनकी बहन की 01 नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया गया है, अजय सोनी उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-124/26 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 बनाम शशि कुमार गौतम उर्फ साहिल कुमार पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी सतेवर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-124/26 धारा-137(2)/87

भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शशि कुमार गौतम उर्फ साहिल कुमार पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी सतेवर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-09.09.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत सेठ गयादीन इण्टरमीडिएट स्कूल मैलहा के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। पीड़िता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-65(1)/115(2)/351(3) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शशि कुमार गौतम उर्फ साहिल कुमार पुत्र दिनेश कुमार गौतम निवासी सतेवर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-124/26 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-65(1)/115(2)/351(3) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्दन कुमार यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 बालकेश, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 ओमप्रकाश मौर्या, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा 02 नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रंगापुर निवासिनी सुनीता यादव पत्नी विजय बहादुर यादव द्वारा थाना फाफामऊ पर तहरीर दी गई कि दिनांक-08.09.2026 को आवेदिका की नाबालिग पुत्री अपने सहेली के साथ पुराना फाफामऊ स्थित आर0पी0टी0आई0 इन्टरनेशनल स्कूल गयी थी परन्तु दोनों वापस नहीं लौटी। आवेदिका सुनीता यादव उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फाफामऊ पर मु0अ0सं0-204/2026 धारा-137(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर गुमशुदा के सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पंजीकृत मु0अ0सं0-204/2026 धारा-137(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित गुमशुदा 02 नाबालिग बालिका को थाना फाफामऊ पुलिस द्वारा आज दिनांक-09.09.2026 को सी0सी0टी0वी0 कैमरों व अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता से थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत नया थाना कट बेला कछार बाईपास रोड के पास से सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0इम्तियाज अहमद, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. म0उ0नि0 दीमिनी सिंह, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 सर्वम, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत अहिवीपुर निवासी अब्बास अली पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार द्वारा थाना सोरांव पर तहरीर दी गई कि ससुरालीजनों द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मुकदमा वादिनी की पुत्री की हत्या कर दी गई, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा वादी अब्बास अली उपरोक्त द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सोरांव पर दिनांक-20.07.2026 को मु0अ0सं0-0268/2026 धारा-103(1)/351(3) भा0न्या0सं0 बनाम 1. अफसार अहमद पुत्र वकार अहमद 2. वकार अहमद पुत्र छेदी 3. सास नूरजहां पत्नी वकार अहमद 4.बबई पुत्र वकार अहमद 5.अब्दुल्ला पुत्र वकार अहमद सभी निवासीगण महरौड़ा थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-268/26 धारा-103(1)/351(3) से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 अब्दुल पुत्र वकार अहमद निवासी ग्राम महरौडा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक-08.09.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोपतपुर सड़क तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित 01 डी0वी0आर0 बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-238/61(2)(क) भा0न्या0सं0 की

बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त के बड़े भाई अफसार अहमद की शादी के कुछ माह बाद उनकी पत्नी द्वारा परिवार से अलग रहने हेतु दबाव बनाया जा रहा था जिसको लेकर पति पत्नी विवाद व घर में कलेश बना रहता था। कुछ समय के बाद भैया भाभी में झगड़ा होने पर भाभी बच्चों के साथ थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत पसियापुर चली गयी। अभियुक्त, उसके पिता व बड़े भाई द्वारा योजाना बनाकर पसियापुर जाकर भाभी को मार डाला गया। बाद में हमें पता लगा कि हमारे आने जाने की फोटो उसके पडोस में लगे कैमरे में आ गई है, इस डर से अभियुक्त और उसेक दोस्त मोहिद उर्फ अल्ताफ द्वारा सबूत मिटाने के लिए उक्त डी0वी0आर0 को जबरदस्ती निकालकर इलाहाबाद में ले जाकर फार्मेट करा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 अब्दुल पुत्र वकार अहमद निवासी ग्राम महरौडा थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-268/26 धारा-103(1)/351(3) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-238/61(2)(क) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

01 डी0वी0आर0।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्रवण कुमार यादव, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 जय प्रकाश सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 सूरज राठी, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. रि0का0 शिवम उपाध्याय, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मुकदमा से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन व 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 कारतूस .315 बोर बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झोखरी आदमपुर निवासी विनोद केसरवानी पुत्र केदारनाथ केसरवानी द्वारा थाना नवाबगंज पर तहरीर दी गयी कि सुचित मौर्य पुत्र राम नरेश मौर्य निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को कॉलेज से लाते समय कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो व विडियो बना लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दिनांक-15 नवम्बर 2026 को वादी मुकदमा की पुत्री की सगाई होना तय होने पर सुचित मौर्या उपरोक्त वादी के होने वाले दामाद को आपत्तिजनक फोटो व वीडियों भेज कर उससे शादी करने जान से मारने की धमकी दी तथा उक्त आपत्तिजनक फोटो वीडियों वायरल करने की धमकी देते हुए 50 हजार रूपये ले लिया गया तथा 10 लाख रूपये की मांग की गयी है। विनोद केसरवानी उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक-09.09.2026 को थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0-388/2026 धारा-123/77/308(5)/351(2) भा0न्या0सं0 व 67(ए) आई0टी0 एक्ट बनाम सुचित मौर्य पुत्र राम नरेश मौर्य निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम की गठन किया गया था।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0-388/2026 धारा-123/77/308(5)/351(2) भा0न्या0सं0 व 67(ए) आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुचित मौर्य पुत्र राम नरेश मौर्य निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-09.09.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नवाबगंज स्थित नो एन्ट्री प्वाइन्ट के पास से गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन व 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुचित मौर्य पुत्र राम नरेश मौर्य निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-388/2026 धारा-123/77/308(5)/351(2) भा0न्या0सं0 व 67(ए) आई0टी0 एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 कारतूस .315 बोर।

* घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार पाल, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 रजनेश कुमार शर्मा, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 विजेन्द्र नाथ राय, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 राम अचल सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. हे0का0 सौरभ सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 दीपक कुमार, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।